जिला जनसम्पर्क कार्यालय, खूँटी

दिनांक 15.03.2018

प्रेस विज्ञप्ति 4

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना के साथ ही खूंटी नगर पंचायत में निर्वाचन 2018 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका), खूंटी द्वारा झारखण्ड नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2012 के नियम 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खूंटी जिला नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में प्रपत्र–5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशन किया गया। दिनांक 16.03.2018 से 22.03.2018 (समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न) तक नाम निर्देशन करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है।

नगर निकाय 2018 हेतु नामांकन पत्र/मतदाता सूची, जिला विकास भवन के मुख्य द्वार के पंडाल पर नामांकन प्रपत्र–6 प्राप्त किया जा सकता है। नाम निर्देशन शुल्क अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिए 5000 (पांच हजार) रू0 सामान्य वर्ग के लिए एवं अनु0जाति/अनु0ज0जा0/पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए 2500 (पच्चीस सौ) रू0, वार्ड सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन शुल्क 1000 (एक हजार) रू0 सामान्य वर्ग के लिए एवं अनु0जाति/अनु0ज0जा0/पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए 500 (पांच सौ) रू0 निर्धारित है। निर्वाचन व्यय के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हेतु अधिकतम व्यय सीमा 500000 (पांच लाख) रू0 एवं वार्ड सदस्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा 100000 (एक लाख) रू0 निर्धारित है।

नाम निर्देशन की संवीक्षा के लिए तिथि 23.03.2018 (समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न) को निर्धारित है। अभ्यर्थी को दिनांक 27.03.2018 (समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न) तक नाम वापस ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक दिनांक 28.03.2018 (समय 11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न) को आवंटित किया जाएगा। दिनांक 16.04.2018 (समय 7.00 बजे प्रातः से 05.00 बजे तक) को मतदान एवं दिनांक 20.04.2018 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। दिनांक 21.04.2018 के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है।

नगर पंचायत खूंटी में अध्यक्ष (आरक्षित अनु0ज0जा0, अन्य) पद हेतु निर्वाची पदाधिकारी के रूप में श्री रंजीत कुमार लाल, को अपर समाहर्ता को बनाया गया है। अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नाम निर्देशन संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र वापस लेने हेतु अपर समाहर्ता खूंटी समाहरणालय का कार्यालय कक्ष को बनाया गया है।

नगर पंचायत उपाध्यक्ष (अनारक्षित, अन्य) पद हेतु निर्वाची पदाधिकारी श्री इश्तियाक अहमद, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खूंटी, को बनाया गया है। उपाध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नाम निर्देशन संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र वापस लेने हेतु निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खूंटी का कार्यालय कक्ष को बनाया गया है।

वार्ड सदस्य, वार्ड सं0 1 (अनारक्षित, अन्य), वार्ड सं0 2 (पिछड़ा वर्ग, अन्य), वार्ड सं0 3 (अनारक्षित, महिला), वार्ड सं0 4 (अनारक्षित, महिला), वार्ड सं0 5 (अनारक्षित, अन्य) के लिए निर्वाची पदाधिकारी श्री प्रणव कुमार पाल अनमण्डल पदाधिकारी खूंटी को बनाया गया है। वार्ड सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नाम निर्देशन संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र वापस लेने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी खूंटी के कार्यालय कक्ष को बनाया गया है।

वार्ड सदस्य, वार्ड स0 6 (अनारक्षित, महिला), वार्ड सं0 7 (अनारक्षित, अन्य), वार्ड सं0 8 (अनारक्षित, महिला), वार्ड सं0 9 (अनु0 जाति, अन्य), वार्ड सं0 10 (अनारक्षित, महिला) के लिए श्री रवीन्द्र गागराइ, कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूंटी को बनाया गया है। वार्ड सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नाम निर्देशन संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र वापस लेने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय कक्ष खूंटी को बनाया गया है।

वार्ड सदस्य, वार्ड स0 11 (अनु0ज0जा0, अन्य), वार्ड सं0 12 (अनु0ज0जा0, महिला), वार्ड सं0 13 (अनु0ज0जा0, अन्य), वार्ड सं0 14 (अनु0ज0जा0, अन्य) वार्ड सं0 15 (अनारक्षित, अन्य), के लिए सुश्री सुषमा नीलम सोरेंग, जिला कल्याण पदाधिकारी को बनाया गया है। वार्ड सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नाम निर्देशन संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र वापस लेने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, खूंटी के कार्यालय कक्ष को बनाया गया ह।

वार्ड सदस्य, वार्ड स0 16 (अनु0ज0जा0, महिला), वार्ड सं0 17 (अनारक्षित, अन्य), वार्ड सं0 18 (अनु0ज0जा0, महिला), वार्ड सं0 19 (अनु0ज0जा0, अन्य) के लिए श्री मेघनाथ उरांव, कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूंटी को बनाया गया है। वार्ड सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान, नाम निर्देशन संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र वापस लेने हेतु सामान्य शाखा, खूंटी के कार्यालय कक्ष को बनाया गया है।

उपायुक्त खूंटी द्वारा नगर पंचायत चुनाव के तहत् क्रियाशील सभी कोषांगों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि खूंटी जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाय। राजनैतिक दलों के बैनर, पोस्टर, झंडा, फ्लैक्स आदि को नगर पंचायत क्षेत्र से हटाने को कहा। नगर पंचायत के चुनाव हेतु 29 बूथ बनाए गए हैं। उपायुक्त ने सभी बूथों में आवश्यक सुविधा पेयजल, बिजली, रैम्प, शौचालय आदि के साथ पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। अति संवेदनशील एवं संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी एवं वाहनों की सघन जांच करने का निदेश दिया। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग एवं सी.सी.टी.वी. से निगरानी करने को कहा। कार्मिक कोषांग का मतदानकर्मियों का डाटाबेस तयार करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि खूंटी नगर पंचायत क्षेत्राधिकार में 144 धारा लगा दी गई है।

खूंटी नगर पंचायत अंतर्गत 2013 में चुनाव लड़ने वाले 19 अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से तीन वर्षों के कालावधि के लिए निहरित घोषित किया गया है।